

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.142 पार्ट 3/स्वा.का.पु./2018/2419

दिनांक :- 8/10/18

आदेश

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)/एफडी/रूल्स/2017/ दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 में उपलब्ध प्रावधानुसार निम्नलिखित सेवा कार्यकर्ता (पुरुष) को उनके नामों के सम्मुखानुसार एतद द्वारा ए.सी.पी. स्वीकृत की जाती है :-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी पदस्थापन जिला	संवर्ग में नियुक्ति दि.	पूर्ण सेवावधि	ए.सी.पी. स्वीकृति दिनांक	पै-मेट्रिक्स लेवल
1	श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड, नागौर	20.02.91	27 वर्ष	20.02.13	एल--11

स्वीकृत ए.सी.पी. में वेतन निर्धारण संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रेषित किया जायेगा।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

राज. जयपुर

क्रमांक:एफ.142 पार्ट 3/स्वा.का.पु./2018/2419

दिनांक :- 8/10/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन अजमेर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर।
3. खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लाडनू (नागौर)।
4. प्रभारी सर्वर रम, कमरा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश का विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
5. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

राज. जयपुर